



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 10 जुलाई, 2024 / 19 आषाढ़, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 09 अप्रैल, 2024

संख्या : आई0पी0एच0-बी(एच)1-6/2016.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव अणु गुम्मा, तहसील

76—राजपत्र/2024-10-07-2024

(2217)

कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में उठाऊ सिंचाई जल परियोजना अणु गुम्मा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघे/हैक्टेयर/बिस्वे में
शिमला	कोटखाई	गुम्मा	748/1/1	00-01-90 हैक्टेयर

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
(सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 06th July, 2024

No. AGR-B0F/18/2021-Part-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the following State Level Committee to monitor and effective implementation of the scheme namely “Namo Drone Didi” comprising of following members:—

1.	ACS/Pr. Secy./Secretary (Agriculture) to the Govt. of H.P.	<i>Chairman</i>
2.	Registrar, Co-operative Societies, H.P.	<i>Member</i>
3.	Director (RD) Department of Rural Development, H.P.	<i>Member</i>
4.	Chief General Manager of NABARD, H.P. Regional Office, Shimla.	<i>Member</i>
5.	Head of Department, Department of Agriculture & Engineering, CSKHPKV, Palampur, H.P.	<i>Member</i>
6.	General Manager, UCO Bank/Convener SLBC, H.P.	<i>Member</i>
7.	State Manager, National Fertilizer Limited (Punjab & Himachal Pradesh), Zonal Office, Chandigarh, India.	<i>Member</i>
8.	Director, Deendayal Antyodaya Yojna-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM), Himachal Pradesh.	<i>Member</i>

9.	Representative from Department of Agriculture & Farmer Welfare, Govt. of India.	Member
10.	Representative from Department of Rural Development, Govt. of India.	Member
11.	Representative from Department of Fertilizer, Govt. of India	Member
12.	Director of Agriculture, Department of Agriculture, H.P.	Member Secretary

The above Committee shall be responsible for selection of appropriate areas/clusters for drone usage, selection of women SHGs, selection of members of the women SHGs for drone pilot & drone assistant training, assessment of district-wise drone usages as well as to provide handholding support to the women SHGs. National Fertilizer Limited (NFL) will be the implementing agency at the State Level & will establish necessary coordination with the members of the Departments, Drone manufacturer, cluster level federations of SHGs and the farmer/beneficiaries etc.

By order,
Sd/-
Secretary (Agriculture).

ब अदालत श्री अक्षित शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी चढ़ियार,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 15/C/2024

किस्म मुकद्दमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्री जगदीश चंदर पुत्र श्री महाशा राम, निवासी गांव बरवालखड, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री जगदीश चंदर पुत्र श्री महाशा राम, निवासी गांव बरवालखड, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम उसके दस्तावेजों में जैसे पेंशन कॉपी, आधार कार्ड में महाशा राम दर्ज है जो कि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बरवालखड में उसके पिता का नाम महेशा दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक राजस्व अभिलेख महाल बरवालखड में अपने पिता का नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 09-07-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 14-06-2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अक्षित शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी चढ़ियार,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 14 / C / 2024

किस्म मुकद्दमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्रीमती रुघो देवी पत्नी दीनानाथ, निवासी महाल घंघोल, डाकघर ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती रुघो देवी पत्नी दीनानाथ, निवासी महाल घंघोल, डाकघर ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम पेंशन
रिकार्ड, बैंक कापी, परिवार नकल में रुघो देवी दर्ज है जो कि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल घंघोल में
उसका नाम रुघो देवी दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका राजस्व अभिलेख महाल घंघोल में अपना नाम
दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्ट्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस
बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 09-07-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में
असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही
अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 14-06-2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 15-07-2024

श्रीमती सरदा देवी पुत्री श्री प्रताप चन्द, निवासी गांव केटलू, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला
कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय:—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने वारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा वारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 04-10-1976 को गांव केटलू, ग्राम पंचायत अम्बाड़ी में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने वारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 09-07-2024

अंजू देवी पुत्री श्री बलवंत राम, निवासी गांव क्यारी, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय:—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने वारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा वारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 28-09-1987 को गांव क्यारी में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज करवाने वारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या बकालतन इस अदालत में दिनांक 09-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 04-07-2024

आशा देवी पत्नी नत्थू राम, निवासी क्यारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, की जेर धारा 37(1) के तहत महाल क्यारी में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके ससुर का सही नाम साहब सिंह पुत्र थोगलिया पुत्र थुनिया है जबकि महाल क्यारी के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम देवी सिंह पुत्र थोगलिया पुत्र थुनिया दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उपरोक्त महाल में अपने ससुर के नाम को सही करके देवी सिंह उपनाम साहब सिंह पुत्र थोगलिया पुत्र थुनिया दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-06-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी : 04-07-2024

लक्की पुत्र राज कुमार, निवासी रिहालपुरा, डाकघर व तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय:—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकि 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने वारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी नानी संध्या देवी पुत्री मंगत राम, निवासी भनाला का देहांत दिनांक 22-04-2009 को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-06-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 04-07-2024

जगरूप नाग पुत्र प्रताप चन्द, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय:—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम की जेर धारा 37(1) के तहत महाल शाहपुर व चन्द्ररूप में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र का सही नाम अंकुर नाग पुत्र जगरूप नाग पुत्र प्रताप चन्द है जबकि महाल शाहपुर व चन्द्ररूप के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम अंकुर पुत्र जगरूप नाग पुत्र प्रताप चन्द व अंकुश पुत्र जगरूप नाग पुत्र प्रताप चन्द दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महालालत में अपने पुत्र के नाम को सही करके अंकुर उपनाम अंकुर नाग पुत्र जगरूप नाग पुत्र प्रताप चन्द व अंकुश उपनाम अंकुर नाग पुत्र जगरूप नाग पुत्र प्रताप चन्द से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-06-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

पेशी : 04-07-2024

अजीता पुत्री जन्म सिंह, निवासी क्योड़ियां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 09-09-1978 को महाल क्योड़ियां में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रछयालू, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में Additional District Registrar (Birth & Deaths-cum-Chief Medical Officer (D&B) Kangra at Dharamashala के Recommendation letter No. HFW/KGR-H (B&D)/(Delayed)/2024/-405/06-05-2024 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रछयालू, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-06-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 04-07-2024

सरोज कुमारी पुत्री श्री हुक्म चन्द, निवासी थरोट, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय:—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने वारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 17-10-1977 को महाल थरोट में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत चड़ी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में Additional District Registrar (Birth & Deaths-cum-Chief Medical Officer (D&B) Kangra at Dharamashala के Recommendation letter No. HFW/KGR-/ST (Delayed) (B&D/-317/02-04-2024 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चड़ी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-04-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 04-07-2024

प्रदीप कुमार पुत्र शंकर सिंह, निवासी पोहाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय:—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल पोहाड़ा में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम प्रदीप कुमार पुत्र शंकर सिंह पुत्र शिव सिंह है जबकि महाल पोहाड़ा के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम प्रदीप सिंह पुत्र शंकर सिंह पुत्र शिव सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने नाम को सही करके प्रदीप सिंह उपनाम प्रदीप कुमार पुत्र शंकर सिंह पुत्र शिव सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता

है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-04-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 04-07-2024

गीतो राम पुत्र सालो राम, निवासी लालड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954की जेर धारा 37(1) के तहत महाल लालड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम गीतो राम पुत्र सालो राम पुत्र नामालूम है जबकि महाल लालड़ के राजस्व अभिलेख के वखाना काश्त में उक्त नाम मोती राम पुत्र सालो राम पुत्र नामालूम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने नाम को सही करके मोती राम उपनाम गीतो राम पुत्र सालो राम पुत्र नामालूम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 18-04-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 51/NT/21

Sh. Ajay Kumar s/o Surinder Kumar, r/o Village Shamnagar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय :—राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रार्थना-पत्र।

Sh. Ajay Kumar s/o Surinder Kumar, r/o Village Shamnagar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका नाम अन्य रिकार्ड में अजय कुमार के स्थान पर अजय कुमार चौधरी लिखा गया है। जबकी प्रार्थी का असल नाम अजय कुमार पुत्र सुरिंदर कुमार है। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को अजय कुमार पुत्र सुरिंदर कुमार व अजय कुमार चौधरी पुत्र सुरिंदर कुमार एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं जिस बारे एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22-05-2024 को अदालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता श्री जय चन्द, द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : /NT/24

Sh. Vijay Kumar s/o Late Sh. Mishri Lal, r/o Ward No. 5, Kotwali Bazar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय :—राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रार्थना-पत्र।

Sh. Vijay Kumar s/o Late Sh. Mishri Lal, r/o Ward No. 5, Kotwali Bazar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि Vijay Kumar or Vijay Kanogia or Vijay Kanojia एक ही व्यक्ति के नाम है। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Vijay Kumar or Vijay Kanogia or Vijay Kanojia के बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 15-06-2024 को अदालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है।

आज दिनांक 15-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्रीमती प्रीतो देवी पत्नी सोडी राम, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादीगण।

दरखास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना हि0प्र0।

श्रीमती प्रीतो देवी पत्नी सोडी राम, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड खेवट नं0 320, खतौनी 356, जमाबन्दी साल 2016-17, महाल बाथड़ी में प्रार्थिया का नाम केहरो देवी पत्नी सोडी राम गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थिया का नाम केहरो देवी पत्नी सोडी राम की बजाये केहरो देवी उर्फ प्रीतो देवी पत्नी सोडी राम सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार अखबार/नोटिस व मुश्ट्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-07-2024 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुना जाएगा।

आज दिनांक 27-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री जसवीर सिंह पुत्र ईन्दर, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादीगण।

दरखास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट नं0 350, खतौनी 519, जमाबन्दी साल 2016-17, महाल नंगल जट्टपुर व खेवट नं0 176, खतौनी नं0 262, जमाबन्दी साल 2020-21, महाल टाहलीवाल उपरला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री जसवीर सिंह पुत्र ईन्दर, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड खेवट नं0 350, खतौनी 519, जमाबन्दी साल

2016-17, महाल नंगल जट्टपुर व खेवट नं0 176, खतौनी नं0 262, जमाबन्दी साल 2020-21, महाल टाहलीवाल उपरला में प्रार्थी का नामा जसमेर सिंह पुत्र ईन्दर गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम जसमेर सिंह पुत्र ईन्दर की बजाये जसमेर सिंह उर्फ जसवीर सिंह पुत्र ईन्दर सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इशतहार अखबार/नोटिस व मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-06-2024 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुना जाएगा।

आज दिनांक 07-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्रीमती कर्मी देवी पत्नी चरण दास, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

दरखास्त बमुराद बराये इन्तकाल मकफूद—उल—खबरी बहक वारसान दर्ज करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती कर्मी देवी पत्नी चरण दास, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा लड़का कुशल कुमार पुत्र चरण दास लगभग 27 वर्षों से लापता है। उसका इन्तकाल मकफूद—उल—खबरी बहक कानूनी वारसान उसकी माता कर्मी देवी व भाई ज्योति प्रकाश के नाम दर्ज करने बारे प्राप्त हुआ है। प्रार्थिया के लड़के को आज तक किसी ने नहीं देखा है और न किसी ने सुना है। इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग में पुलिस रपट दिनांक 01-01-2024 को दर्ज करवाई गई थी प्रार्थिया का यह भी कहना है कि अगर वह जीवित होते तो वह अपने गांव/रिश्तेदार के पास मिलने आते। अतः सर्व साधारण को इशतहार/मुश्री द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज/उजर हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 22-07-2024 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आये। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 24-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग,
हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Smt. Anita Singh w/o Sh. Munish Pratap Singh, r/o Village Gurshali, P.O. Badheri, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Smt. Anita Singh w/o Sh. Munish Pratap Singh, r/o Village Gurshali, P.O. Badheri, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her son namely— Master Sharvil Pratap Singh in the records of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Majthai Totu, Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Master Sharvil Pratap Singh	Son	03-01-2023

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the records of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Majthai, Shimla, (H.P.) may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 24-06-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Smt. Bimla Devi d/o Sh. Chet Ram & w/o Sh. Ramesh Kumar, r/o Village Ser Galotiya, Kolka, P.O. Danoghat, Tehsil Arki, (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Smt. Bimla Devi d/o Sh. Chet Ram & w/o Sh. Ramesh Kumar, r/o Village Ser Galotiya, Kolka, P.O. Danoghat, Tehsil Arki (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter

the date of birth of herself namely— Smt. Bimla Devi in the records of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Chanawag, Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Smt. Bimla Devi	Self	22-01-1991

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the records of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Chanawag, Shimla (H.P.) may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 28-06-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Smt. Daya Vati d/o Sh. Sita Ram & w/o Lt. Sh. Gangra Ram, r/o Village Jander, P.O. Basantpur, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Smt. Daya Vati d/o Sh. Sita Ram & w/o Lt. Sh. Gangra Ram, r/o Village Jander, P.O. Basantpur, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself namely—Daya Vati in the records of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Basantpur, Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Smt. Daya Vati	Self	11-06-1966

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the records of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Basantpur, Shimla (H.P.) may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 19-03-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),
District Shimla (H.P.)**

1. Sh. Narender s/o Sh. Lekh Raj, r/o Village Juni Panihar, P.O. Reog, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.).

2. Ms. Sonia Kumari d/o Sh. Man Dass, r/o Village Dhara, P.O. Jakha, Tehsil Dodra Kwar, District Shimla (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage under section 8(4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996.

Sh. Narender s/o Sh. Lekh Raj, r/o Village Juni Panihar, P.O. Reog, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.) and Ms. Sonia Kumari d/o Sh. Man Dass, r/o Village Dhara, P.O. Jakha, Tehsil Dodra Kwar, District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 01-12-2023 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages concerned /Municipal Corporation Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 04-07-2024. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 5th June, 2024.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural).*

**In the Court of Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),
District Shimla (H.P.)**

1. Sh. Amit Thakur s/o Sh. Shyam Lal Thakur, r/o Village Gahan, P.O. Kamla Nagar, Bhatta Kuffar, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.).

2. Ms. Surekha Verma d/o Sh. Ram Krishan, r/o Village Moudh, P.O. Darbhog, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage under section 8(4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996.

Sh. Amit Thakur s/o Sh. Shyam Lal Thakur, r/o Village Gahan, P.O. Kamla Nagar, Bhatta Kuffar, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.) and Ms. Surekha Verma d/o Sh. Ram Krishan, r/o Village Moudh, P.O. Darbhog, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 07-12-2023 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages concerned / Municipal Corporation Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 04-07-2024. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 5th June, 2024.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural).*

**In the Court of Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),
District Shimla (H.P.)**

1. Sh. Rahul Mahajan s/o Sh. Rakesh Kumar Mahajan, r/o House No. 3, Goyal Apartment, Shiv Nagar, Near Aastha Clinic, Panthaghati, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.).

2. Ms. Manila Thakur d/o Sh. Anil Thakur, r/o Janki Bhawan, Near Boury, Vikas Nagar, Anji Shimla, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage under section 8(4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996.

Sh. Rahul Mahajan s/o Sh. Rakesh Kumar Mahajan, r/o House No. 3, Goyal Apartment, Shiv Nagar, Near Aastha Clinic, Panthaghati, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.) and Ms. Manila Thakur d/o Sh. Anil Thakur, r/o Janki Bhawan, Near Boury, Vikas Nagar, Anji Shimla, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 21-11-2021. But the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages concerned Municipal Corporation/ Gram Panchayat, Tehsil and Distt. Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 25-07-2024. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 26th June, 2024.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural).

CHANGE OF NAME

I, Prmila w/o Shyam Singh, Village Shakvi, P.O. Charoli (149), Shimla, Himachal Pradesh-171217 declare that I have changed my name from Prmila (Previous Name) to Premlata (New Name). All concerned please may note & record.

PRMILA
w/o Shyam Singh,
Village Shakvi, P.O. Charoli (149),
Shimla, Himachal Pradesh-171217.

नाम परिवर्तन

मैं, गुरमेल सिंह उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र श्री बचना राम, निवासी गांव व डा0 लोधीमाजरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0प्र0) बयान करता हूं कि आधार कार्ड/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम गुरमेल सिंह है परन्तु मेरी पुत्री भावना के 10वीं के प्रमाण-पत्र में गलती से पिता का नाम गुरमेल लिखा गया है। मैं प्रमाणित करता हूं कि गुरमेल सिंह और गुरमेल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

गुरमेल सिंह
पुत्र श्री बचना राम,
निवासी गांव व डा0 लोधीमाजरा,
तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0प्र0)।

नाम परिवर्तन

मैं, जुनी देवी आयु 51 वर्ष पत्नी श्री मोहन सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर थंगाड, तहसील नेरवा, जिला शिमला (हि0प्र0) शपथ-पत्र के माध्यम से यह बयां करती हूं कि आधार कार्ड में मेरा नाम गलती से जुली चौहान दर्ज है। मेरे नाम को सभी दस्तावेजों में जुली चौहान के स्थान पर जुनी देवी किया जाए।

जुनी देवी
पत्नी श्री मोहन सिंह,
निवासी ग्राम व डाकघर थंगाड,
तहसील नेरवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।